**भारत सरकार**
संस्कृति मंत्रालय
**लोक सभा**
अतारांकित प्रश्न संख्याः 2420
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 15 दिसंबर, 2025
24 अग्रहायण, 1947 (शक)

**संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और अनुरक्षण**

2420. **श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान राष्ट्रीय स्मारकों (संरक्षित स्मारकों) की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पास सभी स्मारकों के संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट और कर्मचारी हैं;
(ग) क्या सरकार स्मारकों के अनुरक्षण का कार्य निजी कंपनियों या न्यासों को सौंपने के लिए ''एक विरासत को गोद लें'' योजना की समीक्षा कर रही है; और
(घ) क्या सरकार का केंद्रीय संग्रहालयों का नवीकरण और डिजिटलीकरण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**संस्कृति और पर्यटन मंत्री**
**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क): देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 3685 केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं। इन स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और अनुरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है और यह राष्ट्रीय संरक्षण नीति के तहत, आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। ये सभी स्मारक/स्थल भली-भाँति परिरक्षित हैं।

(ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास पर्याप्त पूँजी एवं कर्मचारी उपलब्ध हैं।

(ग): राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों के लिए एडॉप्ट-ए-हेरिटेज-2.0 कार्यक्रम को सितंबर, 2023 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों/न्यासों/समितियों आदि के साथ मिलकर एक रूपरेखा बनाना था, ताकि सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संरक्षित स्मारकों पर सुविधाओं का

एक समूह विकसित/उपलब्ध करके पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना और उन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में इन एजेंसियों द्वारा काम किया जाता है।

(घ): संस्कृति मंत्रालय, संग्रहालय अनुदान योजना नामक एक योजना का संचालन करता है जिसके अंतर्गत नए संग्रहालयों की स्थापना/मौजूदा संग्रहालयों के विकास/संग्रहालयों के डिजिटलीकरण और केंद्र/राज्य सरकारों, समितियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत न्यास द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संस्कृति मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत चयनित संग्रहालयों की पुरावशेषों का डिजिटलीकरण "जतन" नामक पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

*****